

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

11th फ़रवरी, 2026

एनएलसी इंडिया पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन 2025 की संख्या 35 - केन्द्र सरकार - कोयला मंत्रालय - निष्पादन लेखापरीक्षा (वाणिज्यिक) दिनांक 09 फरवरी 2026 को राज्यसभा तथा दिनांक 11 फरवरी 2026 को लोकसभा के पटल पर रखी गई। लेखापरीक्षा रिपोर्ट में 2017-18 से 2022-23 की अवधि को समिलित करते हुए एनएलसी इंडिया लिमिटेड के परिचालन निष्पादन पर निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणाम शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन का सार

एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसी इंडिया), भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के अधीन मुख्य रूप से नेयवेली (तमिलनाडु) और बरसिंगसर (राजस्थान) में प्रमुख ओपन-कास्ट लिग्नाइट खदानों और पिट-हेड ताप विद्युत संयंत्रों का संचालन करती है। मार्च 2023 तक, एनएलसी इंडिया की लिग्नाइट खनन क्षमता और विद्युत उत्पादन क्षमता क्रमशः 27.10 एमटीपीए और 3,640 मेगावाट थी। लेखापरीक्षा में नेयवेली की तीन लिग्नाइट खानें अर्थात् खान-I, खान-II और खान-III और टीपीएस-I विस्तार, टीपीएस-II और टीपीएस-III विस्तार विद्युत संयंत्रों में प्रचालन निष्पादन की समीक्षा की। प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं।

खनन कार्यों के लिए पर्याप्त भूमि की अनुपलब्धता का प्रभाव

नेयवेली में चिन्हित खानों के कुल खनन क्षेत्र 12,835 हेक्टेयर भूमि में से केवल 9,180 हेक्टेयर भूमि कब्जे में थी जिसमें से खनन और क्षेपण की गई भूमि के बाद केवल 46.19 हेक्टेयर भूमि ही खनन कार्यों के लिए बची थी। इस कम भूमि में अनुमानित 44.10 मिलियन टन लिग्नाइट भंडार था यह भंडार बिजली उत्पादन हेतु लगभग 20 महीनों (नवंबर 2024 तक) के लिए पर्याप्त था। भूमि की कमी के परिणामस्वरूप 2022-23 में 2.77 मिलियन टन लिग्नाइट की कम आपूर्ति हुई जिससे खनन कार्यों में ₹338.62 करोड़ रुपये की संभावित राजस्व हानि हुई। खान-II में पूर्वी तरफ एनएलसी इंडिया भूमि प्राप्त नहीं कर सकी इसलिए पहले से ही क्षेपण मिट्टी (पहले से खनन की गई मिट्टी) के क्षेत्र पर खनन करने के लिए मजबूर होना पड़ा इसके परिणामस्वरूप क्षेपण की गई मिट्टी को हटाने के लिए ₹364.80 करोड़ का अतिरिक्त खर्च हुआ।

(अनुच्छेद 2.4)

पर्यावरणीय मंजूरी के बिना खनन कार्य

अगस्त 2017 में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश और अप्रैल 2018 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना के बाद पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी) के पुनःसत्यापन के लिए आवेदन करने में देरी के कारण खान-II को वैध पर्यावरणीय मंजूरी के बिना संचालित किया गया था। एनएलसी इंडिया के कोर्पोरेट पर्यावरण सेल और खान-II योजना विभाग के बीच समन्वय की कमी के कारण देरी हुई। परिणामस्वरूप, खान-II को वैध पर्यावरण मंजूरी के बिना संचालित किया गया था और इसने एनएलसी इंडिया को लघु खनिज (बॉल क्ले और सिलिका सैंड) के उत्पादन और बिक्री से प्रतिबंधित किया।

(अनुच्छेद 2.5)

पर्यावरणीय मंजूरी मानदंडों के बाहर उपरिभार का क्षेपण

एनएलसी इंडिया ने दोनों खान-I और खान-II में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पर्यावरणीय मंजूरी की शर्तों की ऊंचाइयों और ढलानों से अधिक बाहरी उपरिभार क्षेपण करके पर्यावरणीय मंजूरी शर्तों का उल्लंघन किया। खान-I के लिए अनुमेय अधिकतम क्षेपण की ऊंचाई 20 मीटर थी लेकिन औसत उपरिभार क्षेपण की ऊंचाई 50 मीटर तक पहुंच गई और खान-II के लिए अनुमेय अधिकतम क्षेपण ऊंचाई 65 मीटर थी लेकिन 120 मीटर की ऊंचाई तक भी उपरिभार डाला गया। इसके कारण मिट्टी खिसक गई जिससे जल निकासी प्रणाली अवरुद्ध हो गई और कृषि भूमि को क्षतिग्रस्त कर दिया जिसके कारण किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। एनएलसी इंडिया ने मुआवजे के रूप में ₹2.18 करोड़ का भुगतान किया और सितंबर 2023 तक नालियों और कृषि भूमि से मिट्टी को साफ करने के लिए ₹14.98 करोड़ खर्च किए।

(अनुच्छेद 2.6)

मानक संयंत्र उपलब्धता कारक की प्राप्ति में विफलता

टीपीएस-IIई में फ्लुइडाइज्ड बेड हीट एक्सचेंजर (एफबीएचई) सिस्टम में बार-बार खराबी, टीपीएस-II में आग और उपकरण फेलियर, और टीपीएस-Iई में टर्बाइन बेयरिंग फेलियर के कारण फ़ोर्स आउटेज की वजह से टीपीएस-Iई, टीपीएस-II और टीपीएस-IIई केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा निर्धारित मानक संयंत्र उपलब्धता कारक को प्राप्त नहीं कर सके। इस कमी के परिणामस्वरूप क्षमता शुल्क में ₹2,353.99 करोड़ का प्रमुख राजस्व घाटा हुआ।

(अनुच्छेद 3.2)

फ़ोर्स आउटेज

तीनों संयंत्रों में 742 फ़ोर्स आउटेज के कारण 62,857.43 घंटे शटडाउन रहा जिससे 14,538.66 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन की हानि हुई। प्रमुख कारणों, में टीपीएस-IIई की एफबीएचई

प्रणाली में अंतर्निहित डिजाइन कमियां, टीपीएस-आई में बार-बार टर्बाइन थ्रस्ट बेयरिंग विफलताएं, टीपीएस-II में ट्यूब पंचर, लिग्नाइट की कमी, रखरखाव की चूक और प्रमुख आग की घटनाएँ विशेष रूप से मई और जून 2020 में शामिल थीं।

(अनुच्छेद 3.3)

आंशिक भार हानि प्रचालन

संयंत्रों में आंशिक भार पर संचालन से 1,594.77 एमयू का उत्पादन नुकसान हुआ और ₹360.52 करोड़ की कम वसूली हुई। टीपीएस-II में पुराने उपकरण के कारण मिलों का प्रदर्शन, कन्वैअर बेल्ट की खरीद में देरी, टीपीएस-II में लिग्नाइट फीडिंग सिस्टम की समस्याएँ और टीपीएस-आई और टीपीएस-II में लिग्नाइट भंडारण यार्ड का अपर्याप्त संरक्षण जिससे मानसून के दौरान लिग्नाइट गीली होना प्रमुख कारण रहे।

(अनुच्छेद 3.4)

अत्यधिक सहायक विद्युत खपत

सहायक विद्युत खपत (एपीसी) सीईआरसी मानदंडों से अधिक थी, विशेष रूप से टीपीएस-II ने 10 प्रतिशत मानदंड के मुकाबले 15 से 17 प्रतिशत सहायक विद्युत खपत की जबकि टीपीएस-आई और टीपीएस-II भी कुछ वर्षों में मानदंडों से अधिक थे। मुख्य कारण उपकरण-स्तरीय ऊर्जा निगरानी प्रणालियों की कमी, ऊर्जा लेखापरीक्षा सिफारिशों के लागू होने में देरी और फ़ोर्स आउटेज और आंशिक भार संचालन से संचालन अक्षमाताएं रही।

(अनुच्छेद 3.5)

उच्च विशिष्ट तेल खपत

फ़ोर्स और नियोजित आउटेज के कारण टीपीएस-II में विशिष्ट तेल की खपत लगातार मानदंडों से ऊपर थी। टीपीएस-II चरण-II भी बार-बार शटडाउन होने के कारण 2020-21 और 2021-22 में मानदंडों से अधिक हो गया। 2022-23 में, टीपीएस-II में तेल के उपयोग में वृद्धि मुख्य रूप से अपर्याप्त आपूर्ति और लिग्नाइट की खराब गुणवत्ता के कारण थी। हालांकि, टीपीएस-आई निर्धारित मानदंडों के भीतर संचालित हुआ था।

(अनुच्छेद 3.7)

सुरक्षा उपायों में कमी

टीपीएस-II में गंभीर सुरक्षा खामियां देखी गईं, जिसमें मई और जुलाई 2020 में बड़ी दुर्घटनाओं सहित बार-बार होने वाली आग की घटनाओं का अनुभव हुआ, जिससे 20 मृत्यु हुईं, लोग घायल हुए और लंबे समय तक आउटेज हुआ। जाँच में पाया गया कि यह घटनाएँ गर्म लिग्नाइट धूल के जमा होने तथा ज्वलनशील गैसों के प्रज्वलन के कारण हुईं। पूर्व घटनाओं और

घटना/ट्रिप विश्लेषण समिति द्वारा सिफारिशों के बावजूद हाउसकीपिंग उपाय जैसे कि नियमित रूप से धूल की सफाई को लागू नहीं किया।

(अनुच्छेद 3.8)

एनएलसी इंडिया में लेखापरीक्षा द्वारा नोट की गई सर्वोत्तम पद्धतियाँ

एनएलसी इंडिया ने 2,188 हेक्टेयर खनन भूमि को सफलतापूर्वक पुनः प्राप्त किया, लगभग 28 लाख देशी पौधे लगाए, 52 जलाशयों का निर्माण किया और पुनः प्राप्त भूमि पर पर्यावरण-पर्यटन, उच्च तकनीक खेती विकसित की और जैव विविधता को बढ़ाया। ताप संयंत्र संचालन में, एनएलसी इंडिया ने 2013 से 100 प्रतिशत फ्लाई ऐश उपयोग हासिल किया, उद्योगों को फ्लाई ऐश की आपूर्ति के माध्यम से स्थायी अपशिष्ट प्रबंधन का समर्थन किया।

BSC/SS/IK/4-26